न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-154/2007

भूरामल पुत्र गुल्लाराम जाति माली निवासी वार्ड नं0-13 श्रीमाधोपुर जिला सीकर(राज0)

---अपीलान्ट---

---बनाम---

1- राधेश्याम--- मृत--
1/1- महेन्द्रकुमार पुत्र
1/2- नरेन्द्रकुमार पुत्र
1/3- अशोककुमार पुत्र
1/4- भूरीदेवी पुत्री
1/5- गायत्रीदेवी पुत्री
राधेश्याम जाति ब्राहम्ण निवासीगण श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।
2- पटवारी हल्का जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर ।
3- उप पंजीयक श्रीमाधोपुर ।
4- भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर ।

---रेस्पोडेन्टस्--

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 6-9-2007 द्वारा उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ।

--0--

उपस्थिति-

1-श्रीरामसिंह बारेठ अभिभाषक- अपीलान्ट
2-श्री बजरंगसिंह राजपूत अभिभाषक-रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 14.2.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलान्ट ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नं0 1032 रकबा 2.18 हैक्टर तन ग्राम कल्याणपुरा के प्रार्थी रेकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है। ख0नं0 1035 रकबा 0.65 हैक्टर ग्राम कल्याणपुरा का प्रार्थी काबिज काश्तकार है । इस आराजी की खातेदारी अप्रार्थी संख्या-1 के नाम गलत दर्ज हो गई ।उक्त आराजी से अप्रार्थी सं0-1 का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है ।उक्त भूमि के चारो तरफ प्रार्थी ने कच्ची डोल बनारखी हैतथा ख0नं0 1032 में एक ट्यूबैल बना रखा है ख0नं0 1035 के चारो तरफ तारबन्दी कर रखी है । किन्तु अप्रार्थीगण इस आराजी पर जबरन कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है । जिसके कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया । जिसे बाद सुनवाई अदालत मातहत ने खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर पेश की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है ।उक्त आराजी पर अपीलान्ट प्रथम सैटलमेन्ट के पूर्व से ही काबिज काश्तकार चला आ रहा है ।ख0नं0 1032 की खातेदारी अपीलान्ट के नाम है किन्तु ख0नं0 1035 का खाता राजस्व कर्मचारियों की गलती से रेस्पोडेन्ट संख्या-1 के पिता भगवान सहाय के नाम दर्ज कर दी गई । जिसकी मृत्यु के बाद खातेदारी रेस्पोडेन्ट सं0-1 के नाम दर्ज कर दी गई । खाता रेस्पोडेन्ट संख्या-1 के नाम दर्ज हो जाने पर रेस्पोडेन्ट सं -1 अपीलान्ट को उसके कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी करने की धमकी दे रहा है । गलत राजस्व रेकार्ड की जानकारी होने पर अपीलान्ट ने अदालत मातहत मे दावा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिस पर अदालत मातहत ने बिना कब्जा की जांच किये ही आदेश पारित किया है जबकि अपीलान्ट उक्त आराजी पर प्रथम सैटलमेन्ट के समय से ही उक्त आराजी पर बाड एवं तारबन्दी कर काबिज है जिसमें एक ट्यूबैल बनाकर उक्त आराजी की सिचाई करता आ रहा है ।अपीलांट का कब्जा राजस्व रेकार्ड से पूर्व सैटलमेन्ट के पहले से चला आ रहा है यह प्रमाणित होने के बाद भी प्रार्थना पत्र को खारिज करने में कानूनी भूल की है ।जबकि अस्थाई

है किन्तु अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर कोई गौर न कर केवल राजस्व रेकार्ड मे रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज होने से प्रार्थना पत्र को खारिज कर अपना निर्णय तथ्यों के विपरित पारित किया है । विवादित आराजी पर आज भी अपीलांट का कब्जा है । यदि रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट को विवादित आराजी से बेदखल कर देते हैं तो अपीलान्ट का दावा करने का उदेश्य ही समाप्त हो जायेगा । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस मे अपील मीमो में दर्ज तथ्यो को दौहराय वही विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने योग्य अदालत मातहत का निर्णय उचित ठहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी का रेस्पोडेन्ट रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है और एक रेकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समहात की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत खसरा नं0 1035 रकबा 0.65 हैक्टर हाल ख0नं0 464/11 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा दर्ज है । यह स्वीकृत तथ्य है कि ख0नं0 1032 की खातेदारी अपीलान्ट के नाम तथा ख0नं0 1035 की खातेदारी रेस्पोडेन्ट सं0-1 राधेश्याम के नाम दर्ज है ।यह तथ्य राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी एवं खसरा गिरदावरियों से साबित है । विवादित आराजी पर खसरा गिरदावरियों के आधार पर कब्जा अपीलान्ट का है किन्तु रेस्पोडेन्ट विवादित आराजी का रेकार्डेड खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया रेस्पोडेन्ट के पक्ष में तथा एक रेकार्डेड खातेदार काश्तकार को कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा से भी पाबन्द नहीं किया जा सकता ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अदालत मातहत ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दूओं पर विवेचन कर अपना निर्णय पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर का निर्णय दिनांक 6-9-2007 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 14.2.2018 को सुनाया गया ।

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर